दिनांक 01.02.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अनुज्ञा,नवनीकरण व अंतर राशि जमा नहीं करने वाले43 टावर होंगे सील

भिलाईनगर। भिलाई निगम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने कमर कस ली है निगम मे देय करो की राशि को पटाने मे हिलहवाला करने वालो के विरूद्ध बडी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है । सम्पत्तिकर वसुली हेतु मुनादी करवाया जा रहा है बडे बकायादारों से सम्पर्क कर राजस्व अमला उन्हे नोटिस दे रहे ताकि समय मे राशि जमा कर दे और कुर्की जैसे कार्रवाई से बचे ।

इसी कडी मे निगम क्षेत्र में संचालित मोबाइल टॉवर कम्पनी द्वारा अनुज्ञा शुल्क ,नवनीकरण शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क के अंतर की राशि जमा नहीं किया जा रहा है। अब इनके विरूद्ध निगम प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए मोबाइल टॉवर को सीलबंद करने की कार्यवाही करेगा। भिलाई निगम क्षेत्र में अलग अलग नेटवर्क कंपनी के टॉवर है, इनमें 07 कंपनी के 43 टॉवर का राशि जमा नहीं हुआ है। निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता को टॉवर से बिजली काटने पत्र लिखा है। भिलाई में संचालित मोबाइल टॉवर के एजेंसी द्वारा निगम को देय राशि जमा नहीं किया जा रहा है , शुल्क जमा कराये जाने हेतु समय समय पर नोटिस / डिमांड प्रेषित किया गया है , किन्तु अद्यतन तक राशि जमा नहीं कराया गया है। अब निगम 15 ,16 एवं 19 फरवरी को मोबाइल टॉवर की बिजली कनेक्शन विच्छेदन करने सहित उक्त स्थल पर लगे टॉवरों को हटाने /सीलबंद करने की कार्यवाही की जाएगी और इस पर होने वाले व्यय राशि की वसुली उक्त कम्पनी से किया जाएगा। भवन निर्माण अधिकारी हिमांशु देशमुख ने बताया कि भिलाई के 7 टॉवर कंपनी द्वारा निगम को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर ऐसे 43 टॉवर है, जिनका बकाया राशि 83,86,856रू है। आयुक्त के निर्देशानुसार बिजली कनेक्शन विच्छेदन सहित टॉवर स्थल को सीलबंद की कार्रवाई किया जाना है।